Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to give the status of citizen of India to the people that are rehabilitated before freedom.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति जी, वर्ष 2019 में सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट संसद में लाया गया था । महाराष्ट्र और राज्यों में समाज के अलग-अलग बहुत से लोग हैं । मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूं और विशेषकर सिंधी समाज की बात करना चाहती हूं । ये फ्रीडम से पहले पाकिस्तान से आकर देश में बस गए, लेकिन आज तक उनको भारतीय नागरिक का पीआर कार्ड नहीं मिला है । वे कोई भी बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वह उनके अपने नाम से नहीं होता है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि स्टेट और सैंटर मिलकर, जो भी शरणार्थी पाकिस्तान से आए हैं, फ्रीडम से पहले आए हैं, उनको नागरिक का अधिकार दिया जाए । खास तौर से सिंधी समाज बिजनेस द्वारा देश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा रेवेन्यु देता है । इनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो देश का स्वाभिमान बढ़ाते हैं ।

मैं आपके माध्यम से विनती करती हूं कि देश का नागरिक होने की घोषणा की जाए, उनको देश में नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए । धन्यवाद ।